MOTION

"That this House do further extend the time for presentation of the Report of the Joint Committee on Central Vigilance Commission Bill, 1999 up to the last day of the first week of Winter Session, 2000."

I. The Appropriation (No.3) Bill, 2000

II. The Appropriation (No.4) Bill, 2000 - Contd.

श्रद्धेय धम्मा विरियो (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं । इस बिल के शेड्यूल में सर्विसेस एंड पर्पजेज के कॉलम में सबसे पहला डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन दिया है । महोदय, मैं एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए संचित निधि से अर्थ लेने के संबंध में मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कृषि हमारे देश का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है । भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि पर बहुत निर्भर है, लेकिन आजादी के 52 साल के बाद भी आज कृषि की हालत को देखकर हमें हताश होना पड़ता है । इस दिशा में हम अभी तक बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं । अनाज के मामले में हम आत्म-निर्भर तो बने हैं, लेकिन कृषि उत्पादन का "वेल्यू-एडीशन" नहीं कर पाने के कारण हम विदेश से धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं ।

महोदय, मैं बिहार के कुछ मामलों पर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, 1 नवंबर के बाद हो सकता है आप बिहार से झारखण्ड में चले जाएं । मैं आप के ध्यान में लाना चाहूंगा कि बिहार सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए ट्यूब-वेल लगाए जाने के संबंध में एक, दो नहीं तीन दफा "नाबार्ड" के पास प्रोजेक्ट्स भेजे गए हैं । पहला प्रोजेक्ट तो आप ने एप्रूव कर दिया जिस से वहां के किसानों को बड़ा लाभ हुआ । वहां ट्यूब-वेल लगाए गए हैं जिन से सिंचाई हुई है और अनाज का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन दूसरा और तीसरा प्रोजेक्ट आज भी आप के पास लंबित है । इसलिए मैं आप से आग्रह करता हूं कि उन प्रोजेक्ट्स को आप जल्दी-से-जल्दी क्लिअर कर के वापिस भेज दें जिस से बिहार के किसानों को बड़ा लाभ होगा ।

हमारा दूसरा रिक्वेस्ट जिसे आप भी जानते हैं यह है कि बिहार के कुछ भाग बारिश के दिनों में पानी से डूबे रहते हैं, विशेषकर नेपाल के क्षेत्र में बारिश के बाद वहां से जो पानी आता है, उस पानी से बिहार का तमाम एरिया डूबा रहता है और हर साल हम देखते हैं कि वहां जो किसान अनाज पैदा कर सकता है, वह उसे नहीं मिल पाता है । महोदय, बिहार के विभाजन के बाद जो परिस्थिति बन रही है, उस में नेपाल की नदियों से बरसात के दिनों में आने वाले पानी को जब तक नहीं रोका जाएगा, उस के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया जाएगा, बिहार की स्थिति आगे क्या होगी, यह बता पाना बहुत मुश्किल बात होगी । महोदय, अभी हाल में नेपाल के प्रधान

मंत्री जी भारत आए थे और भारत सरकार ने उन के साथ बातचीत भी की है । मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद से ही इस के बारे में बातचीत चल रही है और 30-40 साल से वहां प्रोजेक्ट भी बन रहा है, लेकिन दुख की बात है कि एक भी चीज कार्यान्वित नहीं हुई है, कुछ भी एक्शन में नहीं आ रहा है । इस के लिए जब तक आप वहां आर्टिफिसियल लेक्स नहीं बनाएंगे, बरसात के उस एक्सेस पानी को गंगा से नहर बनाकर सिंचाई के काम में नहीं लाएंगे, बिहार का वह इलाका उसी प्रकार जल-मग्न रहेगा, वहां कोई फसल नहीं हो सकेगी । महोदय, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि यह स्टेट गवर्नमेंट के वश की बात नहीं है । इस संबंध में भारत सरकार को निर्णय लेना होगा । इस काम के बारे में मैं आप से वर्ल्ड बैंक से धन लेने के लिए भी अनुरोध करूंगा । यह बहुत जरूरी है । अगर हम ऐसा कर पाए तो यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है । इस तरह हम वहां के पानी को जमा कर के जहां सिंचाई की आवश्यकता है, वहां व्यवस्था कर सकते हैं और साथ ही वहां हाइडल प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं । इस के लिए मेरा आप से अनुरोध है कि बिहार को संसाधन देने का कष्ट करने की कृपा करें । दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव का मामला बहुत इम्पोर्टेंट मामला है । कोआपरेटिव एक बहुत बड़ा आन्दोलन है जिसमें सभी पार्टियों का पार्टिसिपेशन है, लेकिन जिस तरह से वह शुरू हुआ था, आज वह खत्म हो चुका है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिए आप संसाधन जुटाएं और बिहार के अंदर इसकी बड़ी स्पिरिट है । बहुत से लोगों ने कोआपरेटिव के द्वारा बड़े-बड़े काम किए हैं और गांव से लेकर शहर तक इन्होंने माल पहुंचाया है और शहर के लोगों की हर ज़रूरत को पूरा किया है ।

एग्रीकल्चर की नॉलेज के बारे में आज बात हो रही है । माननीय मंत्री जी मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं कि इस देश के 80 प्रतिशत किसान अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति के बारे में, ताकत के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं । हम टैक्नोलॉजी की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन जब एक किसान अपनी मिट्टी के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता तो उसे मालूम नहीं होता कि वह उस मिट्टी में कौन सा अनाज पैदा करे, क्या शक्ति है उस मिट्टी में, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह ज्ञान किसानों को होना बहुत जरूरी है । मामूली सी कंट्री थाइलैंड की बात मैं करना चाहता हूं कि वहां के किसान को सब कुछ मालूम है अपनी भूमि के बारे में ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमाशंकर कोशिक) : अब कृपया आप आसन ग्रहण कीजिए ।

श्रद्धेय धम्मा वीरियो : कम से कम दो मिनट तो दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष : ठीक है, और एक मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्रद्धेय धम्मा वीरियो : तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हर ब्लॉक के अंदर कम से कम एक सॉयल टैस्टिंग लेबोरेट्री होनी बहुत जरूरी है । सॉयल टैस्टिंग लेबोरेट्री अगर नहीं होगी तो किसान कहां जाएगा ? डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में जाने के बाद भी उसको 5-5, 7-7 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिलती है । ब्लॉक में अगर एक सॉयल टैस्टिंग लेबोरेट्री हो जाएगी तो किसान को ज्ञान हो जाएगा कि वह उस मिट्टी के अंदर कौन सा अनाज पैदा करेगा तो उसको ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी । आज 52 साल की आज़ादी के बाद और इतनी बड़ी डेवलप्ड कंट्री होकर भी इस देश का किसान अपनी मिट्टी के बारे में अनभिज्ञ है । इसलिए मैं आपसे अनुरोध

करूंगा कि आप कम से कम एक ऐलोकेशन एग्रीकल्चर में साइंस एंड टैक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए रखें और हर ब्लॉक में एक सॉयल टैस्टिंग लेबोरेट्री आप बना दें, इससे देश का बड़ा कल्याण होगा । अभी पंजाब के लोगों को इसका प्रिवलेज मिलता है बाकी जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं - बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, बंगाल है, इनके लिए इसकी बहुत जरूरत है ।

मैं आपसे बार-बार यह अनुरोध करूंगा कि आप जितनी गरीब स्टेट हैं, जिनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिवेन्यू नहीं है, उनके लिए सबसे पहले ध्यान दें, उनके हर साधन को पूरा करने की कोशिश करें । धन्यवाद ।

श्री अमर सिंह : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले माननीय नीलोत्पल बसु जी ने प्रतिपक्ष से और पक्ष से श्री नरेन्द्र मोहन जी ने बहुत विस्तार से अपना सारगर्भित वक्तव्य रखा और किसानों की व बिहार की समस्या के बारे में भी विस्तार से हमारे साथी बोल चुके हैं । 6.30 बज चुके हैं, इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और केवल कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं ।

इस बजट में तमाम खामियां हैं, तमाम जन-विरोधी बातें हैं और यह भी अपने आप में एक विचित्र स्थिति है कि बजट बनने के बाद यह ऐप्रोप्रिएशन बिल यहां पर लाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं जिन पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

आज डबल ट्रीटी की बात हुई है, मारिशस ट्रीटी की बात हुई है और इसके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी की काफी आलोचना भी हुई है । माननीय वित्त मंत्री जी का दोष यह है कि फर्स्ट जेनरेशन रिफार्म का जो पाप कांग्रेस ने किया था, उसको सैकिंड जेनरेशन रिफार्म के नाम पर वे दोहरा रहे हैं । यह मारिशस की डबल ट्रीटी की किसने ? इस समय सदन में दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह जी नहीं हैं, मोंटेक सिंह अहलुवालिया द्वारा प्रस्तावित और उनके द्वारा अनुमोदित यह एक कानून है । इस कानून के बारे में हम यह तो कह सकते हैं कि इसमें खामी है, इससे देश का करोड़ों रुपया खराब हो रहा है और इसलिए सारे सदन को राजनीति से ऊपर उठकर यह विचार करना चाहिए कि यह कानून रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए । लेकिन जब तक यह ट्रीटी है और जब तक मारिशस एक सोवरेन कंट्री है, तकनीकी रूप से वित्त मंत्री को हम इस घेरे में नहीं ले सकते, ऐसा मेरा मानना है । इंकम टैक्स का एक आदेश पारित हो गया लेकिन उस सोवरेन कंट्री में क्या हो रहा है, भले ही वह उस कानून का फायदा उठा रहा हो, यह हो सकता है लेकिन जब तक यह ट्रीटी है, तब तक इस ट्रीटी को कोई इंकम टैक्स वाला चैलेंज कर सकता है या नहीं, यह भी अपने आप में एक मामला है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और अपने प्रतिपक्ष के साथियों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले की संजीदगी में जहां मैं उनके साथ सहमत हूं, वहीं मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई, इस मामले की खराबी की जड़ में कौन है ? मैं यशवन्त जी से कहना चाहूंगा कि विरासत में आपको यह जो पाप मिला है, उसको आप ज्यादा दिनों तक मत ढोइए, अपना दामन साफ कीजिए। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के नाम पर जो पाप लोग कर गए हैं, उसको आप विरासत में अग्रसित मत करिए और अनावश्यक रूप से अपने ऊपर कोई आरोप मत लीजिए । अगर पूरा सदन मिलकर सोचे, सारी पार्टियों के लोग मिलकर सोचें कि यह ट्रीटी गलत है, इससे देश को नुकसान

हो रहा है तो इसमें आवश्यक संशोधन करने में यह सदन सक्षम है और वह यह संशोधन कर सकता है । मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI P. SOUNDARARAJAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to speak on the Appropriation Bill on behalf of AIADMK. I have a few pertinent points to make.

The Government is going ahead with its privatisation policy. Against all resistance by political parties and the employees, the insurance sector is also being privatised. While doing so, the Government can, at least, ensure the interests of the employees. It is said that the Agents of insurance companies will be appointed or registered by the Head Office at Delhi. The Government should see that the Agents and other employees are not put to difficulties by this concentration of power in Delhi.

It is also proposed to extend the Provident Fund benefits to the Agents only for 15 years, irrespective of their length of service. This is being unjust. I request the hon. Minister, through you, Sir, to consider their case sympathetically and provide the Provident Fund benefits to them for their actual period of service.

The hon. Prime Minister, in his Independence Day Address, referred to a new scheme called "the Prime Minister's Rural Roads Scheme." This aims at providing rural roads, connecting the villages. But it is said that only villages with more than 1,000 of population shall be connected. This is not being just to Tamil Nadu because a majority of the villages and clusters of houses in the midst of fields do not have that much population. In fact, only such small neglected villages need to be connected first. Otherwise, the entire amount of Rs.5,000 crores will be spent only on a few States.

Since this Scheme is to be launched on the Gandhi Jayanthi, I would like to know how much is being allocated for the remaining part of the current financial year.

Removing the restriction on the import of over 700 items has adversely affected the domestic market. The farmers are the worst sufferers. The prices of copra, cardamom and many more agricultural products have fallen. If this trend continues, the production of foodgrains and other things will come down, and the country will have to face a famine-like situation.

Even in the case of tea-growers, it was our leader, the former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi, who took up the matter first. After that, the Central Government extended some concessions like the reduced sales tax, the increased subsidy and the ban on the sale of imported tealeaves. I appeal to the hon. Finance Minister to protect the farmers, at least, by imposing a higher tax on imports.

I have a point on education. When the Navodaya Schools were introduced in the country, Tamil Nadu was denied that benefit just because our AIADMK Government and our leader wanted the Navodaya Schools to follow the two-language formula without Hindi as a compulsory subject and medium of teaching. Except Tamil Nadu and West Bengal, there are 397 Navodaya schools in the country. Since Tamil Nadu is not being benefited, I urge upon the Government to change its views and set up Navodaya schools in Tamil Nadu, without imposing Hindi.

In Tamil Nadu, more and more people have begun using wheat in their daily diet. But, for the last three months, wheat is not being supplied in the fair-price shops in Tamil Nadu. The Centre has been talking about targetted public distribution system. There are 1.56 crore ration cards in Tamil Nadu; but its holders are not getting wheat. The Centre and the State are blaming each other for this. I would request the hon. Minister to inquire into the matter and see that the people of Tamil Nadu get wheat. With these words, I support this Bill.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : लोक सभा से संदेश, महासचिव।

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I The Constitution (Eighty-sixth Amendment) Bill, 1999

II The Constitution (Eighty-eighth Amendment) Bill, 1999.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-